POWERING NEW INDIA

INVEST UP

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उ0प्र0 चिकित्सा महाविद्यालयों में निजी निवेश योजना-2022

प्रमुख बिन्दु

अवशेष असेवित 16 जनपदों में चिकित्सा महाविद्यालयों के विकास हेतु 02 मॉडल निर्धारित किए गये हैं।

- मॉडल-1 में निजी निवेष हेतु नीति में वित्तिय तथा गैर वित्तिय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

उक्त में मोड-अ तथा मोड-ब तथा मोड-स के अर्न्तगत निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं-

- मोड-अ में निजी चिकित्सालय + न्यूनतम 100 सीटों की क्षमता का निजी चिकित्सालय भूमि पर निर्माण।
- मोड-ब में निजी चिकित्सालय + न्यूनतम 100 सीटों की क्षमता का चिकित्सालय निर्माण में भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार करती है।
- मोड-स में सरकार जिला अस्पताल उपलब्ध कराती है (जैसा आधार हो) + न्यूनतम 100 सीटों की क्षमता का निर्माण निजी भूमि पर कराया जाता है।

	मोड-(अ) निजी चिकित्सालय + चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु निजी भूमि	मोड-(ब) निजी चिकित्सालय + चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु सरकारी भूमि	मोड-(स) सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय उपलब्ध कराया जाना + चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में निजी भूमि का उपयोग
निजी क्षेत्र की भूमिका	• चिकित्सा महाविद्यालय को संचालित करने हेतु न्यूनतम नियामक अपेक्षाओं के साथ पूर्व से स्थापित एवं क्रियाशील चिकित्सालय का विस्तारीकरण। • चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को संचालित करना।	• 33 वर्षों तक ₹1 की सांकेतिक वार्षिक लीज रेंट पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को संचालित करने की अनुमति तथा कुशल सञ्चालन के दृष्टिगत पुनः 33 वर्षों का स्वतः लीज का विस्तार । • अस्पताल को छोड़ कर (जैसा आधार हो) अवस्थापना के साथ पट्टे पर ली गयी भूमि को पट्टे की अवधि समाप्त होने पर वापस करना। (चिकित्सालय वापस नही होगा)	• जिला अस्पताल के उच्चीकरण के उपरांत चिकित्सा महाविद्यालय का विकास तथा संचालन। • जिला अस्पताल के अंतर्गत 500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करना। • नीति के अनुसार रोगियों से प्रभार लेना।
सरकार की भूमिका	• नीति के अनुसार वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लाभों को प्रदान किया जाना।	• नीति के अनुसार वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लाभों को प्रदान किया जाना। • प्रति वर्ष सांकेतिक ₹1 की दर से लीज रेंट पर भूमि उपलब्ध कराना।	• नीति के अनुसार वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लाभों को प्रदान किया जाना । • जिला अस्पताल को जैसा की आधार है, ₹1 की वार्षिक दर से सांकेतिक लीज रेंट उपलब्ध करना । • दो वर्ष से अधिक जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मियों को नियोजित करना । (वर्ष के अंत में 50%)

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	मोड-(अ)	मोड-(ब)	मोड-(स)
1.	उच्चीकरण में पूंजीगत व्यय पर ऋण उपादान	5%	5%	5%
2.	सहायता/ मात्र एमबीबीएस हेतु 2 बैचों के सीटों हेतु	5 लाख/ सीट/ वर्ष(प्रति छात्र अधिकतम ₹25 लाख)	2 लाख/ सीट/ वर्ष(प्रति छात्र अधिकतम ₹10 लाख)	3 लाख/ सीट/ वर्ष(प्रति छात्र अधिकतम ₹15 लाख)
3.	भू-उपयोग परिवर्तन में छूट	100%	100%	100%
4.	उपकरण उपादान	लागू नहीं	लागू नहीं	20% (अधिकतम ₹10 करोड़ प्रति वर्ष)
5.	स्टाम्प शुल्क	उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुसार	उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुसार	उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुसार
6.	ओ.पी.डी. परामर्श तथा सम्बन्धित निदानिक शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	रुपये 100 प्रति रोगी (3% वार्षिक वृद्धि) (प्रति वर्ष अधिकतम ₹2 करोड़)
7.	विस्तार उपादान	लागू नहीं	सांकेतिक लीज रेंट मात्र ₹1 में भूमि पट्टे पर उपलब्ध करना	लागू नहीं
8.	क्रियाशील/ संचालित चिकित्सालय के सम्बन्ध में प्राविधान	लागू नहीं	लागू नहीं	सांकेतिक लीज रेंट मात्र ₹1 में भूमि पट्टे पर उपलब्ध करना (33 वर्ष)
9.	अन्य प्रोत्साहन	सम्बन्धित विभागों में लागू नीतियों के अनुसार		

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश